भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 321
04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

अंतर्देशीय जलीय कृषि उत्पादन

321. डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश में अंतर्देशीय जलकृषि उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्देशीय जलकृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई उन्नत अथवा नई प्रौद्योगिकियां शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये प्रौद्योगिकियां विशेषकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में मत्स्य-पालकों की पहुंच में हों और वे वहनीय हों; और

(घ) क्या सरकार इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कोई राजसहायता या वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश में जलकृषि के साथ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है ।

(ख): मत्स्यपालन विभाग मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20050 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे अधिक निवेश के साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" नामक एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि अंतर्देशीय जल कृषि में मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान में कमी, ट्रेसेबिलिटी इत्यादि में क्रिटिकल गैप्स को दूर किया जा सके । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ 5259.85 करोड़ रुपए की कुल लागत से नई प्रौद्योगिकियों जैसे री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायोफ्लोक, जलाशयों में केज कल्चर, इन्टीग्रेटेड मल्टी-ट्रापिक एक्वाकल्चर (आईएमटीए), रेसवे, एक्वापोनिक्स, पेन कल्चर आदि को समावेशित करने और उन्हें अपनाने हेतु परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई और नवीनतम प्रौद्योगिकियां सुलभ और वहनीय हों, भारत सरकार ने 2020-21 से पीएमएमएसवाई के तहत तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,02,315 मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए 3028 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है।

(घ): पीएमएमएसवाई के तहत, विभिन्न लाभार्थी उन्मुख घटकों और गतिविधियों के लिए मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य पात्र लाभार्थियों को पीएमएमएसवाई के केंद्र प्रायोजित घटक के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई/परियोजना लागत का 40% तक और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /महिला श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 60% तक सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, फिशरीस एंड एक्वाकल्चर डेवलेपमेंट फंड (एफ़आईडीएफ़) के तहत नवीनतम मात्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकियों सहित फिशरीस इन्फ्रस्ट्रक्चर के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3% तक ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेनशन) के साथ रियायती वित्त का सहयोग दिया जाता है । इसके अलावा, मछुआरों और मत्स्य किसानों द्वारा संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा को मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए भी विस्तारित किया गया है। अब तक, मछुआरों और मत्स्य किसानों को 4,50,799 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं ।

*****

अनुबंध- I

04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) डॉ. रानी श्रीकुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण। देश में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	36.10	40.70	42.19	45.06	45.58
2	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.05	0.05	0.09	0.09
3	असम	3.73	3.93	4.17	4.43	4.99
4	बिहार	6.41	6.83	7.62	8.46	8.73
5	छत्तीसगढ	5.72	5.77	5.91	6.52	7.81
6	गोवा	0.04	0.05	0.05	0.06	0.09
7	गुजरात	1.58	1.57	1.86	1.94	2.03
8	हरियाणा	1.91	2.03	2.08	2.12	2.15
9	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18
10	झारखंड	2.23	2.38	2.57	2.80	3.11
11	कर्नाटक	2.29	2.61	4.85	4.95	4.02
12	केरल	2.05	2.24	2.25	2.30	2.51
13	मध्य प्रदेश	2.00	2.49	2.93	3.42	3.82
14	महाराष्ट्र	1.18	1.25	1.57	1.44	2.67
15	मणिपुर	0.32	0.33	0.33	0.34	0.45
16	मेघालय	0.14	0.16	0.18	0.19	0.20
17	मिजोरम	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
18	नागालैंड	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
19	ओडिशा	6.60	7.01	7.89	8.39	8.97
20	पंजाब	1.51	1.65	1.90	1.85	1.84
21	राजस्थान	1.16	0.60	0.66	0.79	0.91
22	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
23	तमिलनाडु	1.74	1.75	2.12	2.32	2.47
24	तेलंगाना	3.00	3.49	3.90	4.38	4.56
25	त्रिपुरा	0.78	0.82	0.82	0.83	0.86
26	उत्तराखंड	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09
27	उत्तर प्रदेश	6.99	7.46	8.09	9.15	11.60
28	पश्चिम बंगाल	16.19	16.69	16.52	18.56	18.84
29	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दिल्ली	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
33	जम्मू और कश्मीर	0.21	0.21	0.25	0.27	0.28
34	लद्दाख	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुदुच्चेरी	0.07	0.05	0.08	0.05	0.04
संपूर्ण भारत		**104.37**	**112.49**	**121.21**	**131.13**	**139.07**